संख्या–1250 / 58–2010–203 / 2005

प्रेषक,

चन्द्रिका प्रसाद तिवारी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग

लखनऊः दिनांक 28 अप्रैल, 2010

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–10 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में केन्द्रीय योजना "फल सब्जियों एवं अन्य गौण फसलों के क्षेत्रफल और उनके उत्पादन के अनुमान लगाने की योजना के अन्तर्गत आय–व्ययक में व्यवस्थित धनराशि के सापेक्ष धनराशि अवमुक्त किया जाना।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–10 / बजट आयोजनागत / 2010–11 गौण दिनांक 12.4.2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिए वित्त आय–व्ययक अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या बी–1–951 / दस–2010–231 / 2010 दिनांक 26 मार्च,2010 में दी गयी शर्तो के अधीन आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2010–11 के प्रथम त्रैमास हेतु **रू0 1668 हजार (रूपये सोलह लाख अड़सठ हजार मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अधोलिखित विवरण के अनुसार व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(धनराशि हजार रूपये में)

क0 सं0	लेखाशीर्षक / योजना का नाम	कोड सं0 / मद का नाम	प्राविधानित धनराशि	प्रथम त्रैमास के लिए अपेक्षित धनराशि
1	2	3	4	5
अनुदान सं0–10				
2401–फसल कृषि कर्म–आयोजनागत 111–कृषि अर्थ व्यवस्था तथा सांख्यिकी– 01–केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें– 01–फल सब्जियों एवं अन्य गौण फसलों के क्षेत्रफल और उनके उत्पादन के अनुमान लगाने की योजना (के.–100 / रा. –00–के.)		01–वेतन	3525	881
		03–मँहगाई भत्ता	1163	291
		04–यात्रा व्यय	462	114
		05–स्था0 यात्रा भत्ता	65	16
		06–अन्य भत्ते	329	83
		08–कार्यालय व्यय	180	45
		11–लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	180	45
		12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	45	11
		42–अन्य व्यय	328	82
		44–प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	190	48
		45–अवकाश यात्रा व्यय	70	18
		47–कम्प्यूटर अनुरक्षण व स्टेशनरी का कय	65	16
		49–चिकित्सा व्यय	70	18
		योग–111–01	6672	1668

(धनराशि रूपये–सोलह लाख अड़सठ हजार मात्र)

2 / –

1– अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुसार वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।

2– शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है, वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों सहित मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी शासनादेशों का विशेष रूप से पालन सुनिश्चित कराया जाय।

3– जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अर्न्तगत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

4– बजट में प्राविधानित धनराशि का आबंटन एवं आबंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियन्त्रण के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश सं0–बी–1–1195/दस–16/94 दिनांक 06 जून 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

5– निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगें की व्यय को कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाये। यदि किसी विनियोग की प्राथमिक इकाई के अधीन अनुपातिक आधार पर व्यय में किसी बड़े अन्तर होने की सम्भावना मालूम पड़े तो उसे तत्काल शासन एवं वित्त विभाग के संज्ञान में लाया जाय।

6– भण्डार कय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7– वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0– र्यालय ज्ञाप संख्या बी–1–951/दस–2010–231/2010 दिनांक 26 मार्च,2010 में दी गई शर्तो का अनुपालन विभाग द्वारा भी सुनिश्चित किया जाये। विचलन की स्थिति में वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी। जिसके लिए निदेशक/मुख्य वित्त नियन्त्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ उत्तरदायी होंगे।

8– यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या बी–1–951/दस–2010–231/2010 दिनांक 26 मार्च,2010 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(चन्द्रिका प्रसाद त्रिवारी)
विशेष सचिव ।

संख्या–1250(1)/58–2010 तद् दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी (प्रथम)/आडिट (प्रथम), उ0 प्र0 इलाहाबाद।
(2) वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग–1/वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) वित्त नियन्त्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ।
(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(चन्द्रिका प्रसाद तिवारी)
विशेष सचिव ।